

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 1972/फाल्गुन 25, 1893

No. 57] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 1972, PHALGUNA 25, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th March 1972

SUBJECT:—*Import policy for the year April 1971—March 1972.*

No. 43-ITC(PN)/72.—Attention of importers is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March 1972.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March 1972.

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments:
463	Section V, Appendix Item 2(v)	43, The existing description of the item may be deemed to have been amended to read as under:— “Enamelled self Bonding copper wire 0.06 mm to 0.15 mm diameter”.
466	Section V, Appendix Item No. 7(i)	43, The existing description of the item may be deemed to have been amended to read as under:— “Metalised or Plain film Polyester/Polystyrene Polycarbonate Polypropylene”.
466	Section V, Appendix Item No. 7(vii)	43, The existing description of the item may be deemed to have been amended to read as under:— “Polyester/Polystyrene/Polycarbonate/Polyethylene/Polypropylene, rod/stick/foil”.
467	Section V, Appendix Item 9(ii)	43, The existing description of the item may be deemed to have been amended to read as under:— “Condensor Paper/Condensor Tissue Paper”.
467	Section V, Appendix Item 9(v)	43, The existing description of the item may be deemed to have been amended to read as under:— “Ammonium Pentaborate”.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार संग्रह

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1972

विषय : अप्रैल, 1971; मार्च, 1972 वर्ष के लिए आयात नीति ।

संख्या : 43 आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाना है ।

2. निम्नलिखित संगोत्र अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नोटि (रेडबुक व० 1) में उचित स्थानों पर किए जाएंगे :

रेडबुक वा० 1 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के व्यौरे
463	खंड 5, परिशिष्ट 43, मद 2(5) ।	मद के वर्तमान विवरण को नीचे के अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :— “0.06 एम० एम० से 0.15 एम० एम० व्यास] वाले एनिमनीलेन्ड सेल्फ बॉइंग कापर वायर।”
466	खंड 5, परिशिष्ट 43, मद सं० 7() ।	मद के वर्तमान विवरण को नीचे के अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :— “धात्विकृत या सादा फिल्म पालिस्टर/पालिस्टीन/ पालिकाबोनेट/पालिप्रोपिलीन ।”
466	खंड 5, परिशिष्ट 43, मद सं० 7(7) ।	मद के वर्तमान विवरण को नीचे के अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :— “पालिस्टर/पालिस्टीन/पालिकाबोनेट/पालिथिलीन/ पालिप्रोपिलीन, राइ/स्टिक/पर्ण ।”
467	खंड 5, परिशिष्ट 43, मद 9(ii) ।	मद के वर्तमान विवरण को नीचे के अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :— “संघनित कागज/संघनित ऊतक कागज ।”
467	खंड 5, परिशिष्ट 43, मद 9(5) ।	मद के वर्तमान विवरण को नीचे के अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :— “एमोनियम पेन्टाबोरेट ।”

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

